# जिला शहरी विकास अभिकरण जिला - भिण्ड (म.प्र.)

# ! रोजगारोन्मुखी योजनाएँ !

## मुख्यमंत्री हाथ ठेला एवं रिक्शा चालक कल्याण योजना 2009 एवं मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना 2009।

योजना प्रदेश के समस्त हाथ ठेला एवं साइकिल रिक्शा चालकों एवं शहरी घरेलू कामकाजी महिलाओं के लिये लागू की गई है। हाथ ठेला एवं साइकिल रिक्शा चालकों द्वारा योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिये संबंधित नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के पंजीयन कराना अनिवार्य रखा गया है।

शहरी घरेलू कामकाजी महिलाओं को

**पंजीकृत हाथ ठेला/साइकिल रिक्शा/चालक ~~को~~/ निकाय फोटोयुक्त परिचल-पत्र जारी करेगी। यह पंजीयन ३ वर्ष की अवधि समाप्त होने पर नवीनीकरण योग्य होगा।**

इनके लिये अनेक सुविधायें है। जैसे, प्रसूति व्यय के लिये 1000/- नगद भुगतान किया जायेगा। पंजीबद्ध चालकों के बच्चों की छायाबृत्ति। मेधावी छात्र पुरस्कार स्वीकृत किये जायेगें। सामूहिक विवाह के लिये रूपये 6000/- प्रति विवाह सहायता प्रदान की जावेगी। सदस्य के बीमार होने पर शासकीय अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों में होने वाले **चिकित्साव्यय की प्रतिपूर्ती रूपये 20,000/- की सीमा तक प्रतिवर्ष प्रति परिवार दी जायेगी।** जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत निःशुल्क बीमा कराया जायेगा।

**साइकिल रिक्शा की इकाई लागत रूपये 10,000/- एवं हाथ ठेला की इकाई लागत रूपये 5,000/- तक की गई है।**

साइकिल रिक्शा के लिये रू. 5000/- हाथठेला के लिये रू. 4000/- अनुदान इस कार्यालय से दिया जायेगा।

## शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम

शहरी गरीबों को स्वरोजगार में लगाने के लिये बैंकों से अनुदान दिलाकर स्वरोजगार के लिये सहायता दी जाती है। स्थापित स्वव्यवसाय पर लागत का 15 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 50,000/- का अनुदान शासन द्वारा हितग्राहियों को दिया जाता है। लागत की 80 प्रतिशत राशि या अधिकतम 2,00,000/- रूपये का ऋण व्यवसायिक बैंकों से उपलब्ध करवाया जाता है।

### महिला एवं बच्चों का विकास कार्यक्रमः-

कम से कम दस शहरी महिलाओं के एक सामूहिक स्वरोजगार स्थापित करने के लिये व्यवसाय की लागत 50 प्रतिशत राशि अधिकतम रूपये 1,25,000/- अनुदान के रुप में देने का प्रावधान है। 45 प्रतिशत राशि वाणिज्यिक बैंक से ऋण के रुप में मिलती है।

### बचत एवं साख समितिः-

छोटी-छोटी बचतों को प्रोत्साहित करने के लिये शहरी गरीबों में बचत की आदत डालने के लिये बचत और साख समूह गठित करने का प्रावधान है। बचत समूहों द्वारा एक वर्ष तक नियमित बचत करने पर उन्हें सरकार की ओर से रूपये 25,000/- अनुदान के रूप में एक मुश्त देने का प्रावधान है।

### प्रशिक्षण कार्यक्रमः-

इसमें व्यवसाय स्थापित करने के लिये हितग्राहियों के कौशल उन्नयन की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण के लिये हितग्राही रू. 6,000/- तक व्यय करने का प्रावधान है यह प्रशिक्षण दो से छः माह अथवा कम से कम 300 घण्टों तक हितग्राहियों को देने का प्रावधान है।

**अधिक जानकारी के लिये कार्यालयीन समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।**

# शहरी गरीबों के आवास के लिए ब्याज अनुदान योजना (आईएसएचयूपी)

# INTEREST SUBSIDY SCHEME FOR HOUSING THE URBAN POOR [ISHUP]

DELHI 2010
XIX COMMONWEALTH GAMES

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
*Central Bank of India*
CENTRAL TO YOU SINCE 1911
OFFICIAL BANKING PARTNER

*आईये, एक बेहतर जीवन बनायें*

आंचलिक कार्यालय, 9, अरेरा हिल्स, भोपाल
संयोजक : राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्यप्रदेश

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
*Central Bank of India*
आईये, एक बेहतर जीवन बनायें   Build a better life around us

**Central Office : Chander Mukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021, Maharashtra.**

## योजना का उद्देश्य

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार ने शहरी क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आवास के लिए यह योजना (आईएसएचयूपी) तैयार की है जिसके अंतर्गत हितग्राही को कम ब्याज दर पर गृह ऋण प्राप्त हो सकेगा।

## पात्रता

| आर्थिक मानदंड | औसत मासिक आय (इस योजना के लिए) |
|---|---|
| आर्थिक दृष्टि से दुर्बल (ई.डब्ल्यु.एस.) | ऐसा परिवार जिसकी औसत मासिक आय रुपये 5000/- तक है। |
| निम्न आय समूह (एल.आई.जी.) | ऐसा परिवार जिसकी औसत मासिक आय रुपये 5000/- से 10000/- तक है। |

## ऋण राशि

| आर्थिक दृष्टि से दुर्बल (ई.डब्ल्यू.एस.) | निम्न आय समूह (एल.आई.जी.) |
|---|---|
| स्वीकार्य अधिकतम राशि रु. 1.00 लाख | स्वीकार्य अधिकतम राशि रु 1.60 लाख |
| घर - न्यूनतम 25 स्क्वे. मीटर | घर - न्यूनतम 40 स्क्वे. मीटर |

## ब्याज सब्सिडी

| | |
|---|---|
| ऋण की पूरी अवधि (15 से 20 वर्ष) के लिए स्वीकृत ऋण राशि पर लिए गए ब्याज पर सब्सिडी 5 प्रतिशत प्रति वर्ष | ऋण की पूरी अवधि (15 से 20 वर्ष) के लिए स्वीकृत ऋण राशि में से सिर्फ रू. 1.00 लाख तक की ऋण राशि पर लिए गए ब्याज पर सब्सिडी 5 प्रतिशत प्रति वर्ष। रूपये 1.00 लाख से उपर की स्वीकृत ऋण राशि पर ब्याज अनुदान देय नहीं है। |

## हितग्राही का चयन

स्थानीय संस्था (नगर पालिका / नगर निगम) या स्थानीय नोडल एजेन्सी द्वारा हितग्राही का चयन किया जायेगा। स्थानीय संस्था / एजेन्सी बैंक के माध्यम से हितग्राही को ऋण दिलाने में सहायता करेगी, हितग्राही भी सीधे बैंक से सम्पर्क कर सकता है।

## ब्याज दर

ई.डब्ल्यू.एस. और एल.आई.जी. वर्गों के लिए नए मकानों के निर्माण अथवा अधिग्रहण हेतु ऋण की पूरी अवधि के लिए, स्वीकार्य ऋण राशि पर लिए गए ब्याज पर, सब्सिडी 5% प्रतिवर्ष होगी।